न्यायालय-ए०के०गुप्ता,न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,गोहद जिला भिण्ड (म०प्र०)

<u>आपराधिक प्रक0क्र0</u>-235 / 2013

संस्थित दिनाँक-29.04.13

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र एण्डोरी

जिला-भिण्ड (म0प्र0)

.....अभियोगी

विरुद्ध

- 1. महाराजसिह पुत्र रामदीन जाटव उम्र 50 साल
- 2. शिवराजसिंह पुत्र जयश्रीराम जाटव उम्र 28 साल

_<u>=ः निर्णय ::</u> {आज दिनांक 10.10.17 को घोषित}

अभियुक्तगण पर भारतीय दंड संहिता 1860 (जिसे अत्र पश्चात "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 323/34, 325/34 के अधीन आरोप है कि उन्होंने दिनांक 05.03.13 को दोपहर 14:30 बजे या उसके लगभग ग्राम घरेटा स्थित फरियादी/आहता कु0 नीरज के घर के पास सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर शैलेन्द्र को मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित किया तथा उक्त सामान्य आशय के अग्रशरण में शैलेन्द्र तथा उसे बचाने आयी फरियादिया नीरज व श्रीमती लोंगश्री की डण्डा/ईटों से मारपीट कर स्वेच्छा उपहित कारित की तथा अभियुक्तगण में से किसी ने फरियादी नीरज की मारपीट कर उसे अस्थिभंग कारित कर स्वेच्छा घोर उपहित कारित की।

2. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि फरियादी नीरज दिनांक 05.03.2013 को दोपहर करीब ढाई बजे अपने घर पर थी उसी समय उसकी भाभी के पिता अभियुक्त महाराजिसंह और भाभी के भाई अभियुक्तगण शिवराज व रविसिंह उसके घर आए तथा भाई शैलेन्द्र की मारपीट करने लगे तब फरियादी अपने भाई को बचाने गयी तो महाराजिसंह ने बाए पैर में डण्डा मारा और रिव ने ईट मारी जो बांए पैर की पिण्डली में लगी। उसकी मॉ लोंगश्री बचाने आई तो अभियुक्त शिवराज ने लातघूंसों से मारपीट की और जमीन पर घसीटा। उस समय भगवंतिसंह और पिता सुरेश आ गए जिन्होंने बचाव किया। उक्त आशय की सूचना से अदम चैक रिपोर्ट लेख की गयी। आहत का चिकित्सीय परीक्षण कराया, तत्पश्चात् अप0क0 23/13 पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। दौरान

अनुसंधान नक्शामौका बनाया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए, अभियुक्तगण को गिर० कर गिर० पत्रक बनाए गए, बाद अनुसंधान अभियोगपत्र प्रस्तुत किया गया।

- 3. अभियुक्तगण को पद क0 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। द०प्र०स० की धारा 313 के अधीन अभियुक्तगण ने अपने कथन में निर्दोष होना तथा झूंटा फंसाया जाना बताया।
- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं
 - 1. क्या दिनांक 05.03.13 को दोपहर 14:30 बजे आहत नीरज, लोंगश्री को शरीर पर कोई चोट मौजूद थी, यदि हॉ तो उनकी प्रकृति ?
 - 2. क्या अभियुक्तगण द्वारा उक्त दिनांक, समय व स्थान पर सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर शैलेन्द्र को मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित किया तथा उक्त सामान्य आशय के अग्रशरण में शैलेन्द्र तथा उसे बचाने आयी फरियादिया नीरज व श्रीमती लोंगश्री की डण्डा / ईटों से मारपीट कर स्वेच्छा उपहित तथा नीरज को स्वेच्छा घोर उपहित कारित की ?

-:: सकारण निष्कर्ष ::-

- 5. अभियोजन की ओर से प्रकरण में नीरज अ०सा० 1, लोंगश्री अ०सा० 2, शैलेन्द्रसिंह अ०सा० 3, सुरेश अ०सा० 4 साक्षी आलोक शर्मा अ०सा० 5 को परीक्षित कराया गया है, जबिक अभियुक्तगण की ओर से बचाव में भारतिसंह ब०सा० 1 को परीक्षित कराया गया है। तथ्यों एवं साक्ष्य में उत्पन्न परिस्थितियों में पुनरावृत्ति के निवारण हेतु उपरोक्त सभी विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।
- 6. फरियादी नीरज अ0सा0 1 यह कथन करती है कि घटना दिनांक 05.03.13 के दोपहर 2—3 बजे की है, उस दिन वह अपने घर पर थी। उसका दसवीं का पेपर था इसलिए अपने घर के बाहर पढ रही थी तभी अभियुक्तगण आए जो कि उसकी भाभी के पिता व भाई है, उन्होंने उसके घर पर गाली गलौंच की। उसके घर पर कोई नहीं था। फिर उसका भाई जो काम करने गया था, लौटकर 12 बजे घर आ गया था, उसके पहले आरोपीगण घर आ गए थे। उसके बाद इस साक्षी की भाभी झाडू डण्डा लेकर उसके भाई के पीछे पडी तब भाभी के पिता महाराजसिंह (अभियुक्त) आए और उन्होंने उसके भाई की मारपीट फावडे से की थी। उसी समय वह भी अंदर पहुंची तो महाराज सिंह ने उसके पैर में डण्डा मारा और रिव ने ईट मारी जो बांए पैर पर लगी। उसकी मां लोंगश्री भी गोहद से आयी तो उसकी मां को दोनों लोग भीतर ले आए और शिवराज ने उसकी मां की लातघूंसों

से मारपीट की तथा पिता ने मॉ की चोटी पकड ली। घटना के बाद थाना एण्डोरी में पहुंचकर प्र0पी0 1 की रिपोर्ट किया जाना बताती है।

- 7. नीरज अ0सा0 1 जो कि अपने अभिसाक्ष्य में घटना के समय उनके घर पर कोई न होना बताती हैं वहीं अपने मुख्य परीक्षण में कथन करती है कि उसका भाई काम करने गया था और लौटकर 12 बजे घर आ गया था और माई के घर लौटकर आने के पहले ही आरोपीगण उनके घर आ गए थे। कण्डिका 6 में बताती है कि आरोपीगण दोपहर 11 बजे उनके घर आ गए थे तब उसके घर में आहत नीरज के अलाबा कोई नहीं था। प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 3 में बताती है कि झगडे वाले दिन उसका भाई फ़ैक्ट्री में काम करने नहीं गया था बल्कि ग्वालियर गया था और 12 बजे घर आ गया जिसके बाद कहीं नहीं गया। अपने माता पिता के संबंध में यह कथन करती है कि उसके माता पिता गोहद गए थे। यह भी बताती है कि उसकी माँ सुबह सात बजे की गाडी से पिता के साथ गयी थी। साक्षी कण्डिका 5 में कथन करती है कि उसकी माँ गोहद से 3—4 बजे आई थी तथा पिता दूसरी टैक्सी से आए थे तब सारे आरोपीगण उसकी माँ को मार रहे थे। कण्डिका 6 में कथन करती है कि उसके माई शैलेन्द्र की मारपीट के 10—5 मिनिट बाद अंदर पहुंची थी, शैलेन्द्र को कोई चोट नहीं आई थी।
- लोंगश्री अ०सा० 2 घटना दोपहर के करीब दो ढाई बजे की बताती है और यह कथन करती है कि उस दिन अपने घर पर थी। कण्डिका 2 में बताती है कि जिस दिन अभियुक्तगण उसके घर आए उस समय वह पति के साथ गोहद आयी थी, उसकी बहू ने भाई शिवराज और रवि को बेटे शैलेन्द्र की मारपीट करने के लिए फावडा दे दिया तब अभियुक्तगण ने शैलू उर्फ शैलेन्द्र की मारपीट की और उसकी लडकी नीरज पढ रही थी तब महाराजसिंह ने नीरज के पैर में डण्डा मारा। जब साक्षी बीच बचाव करने गयी तो महाराजसिह ने चोटी पकडकर दरवाजे की तरफ धकेल दिया था। यह साक्षी कण्डिका 4 में कथन करती है कि घटना वाले दिन गोहद नहीं गयी बल्कि सरे दिन गयी थी। कण्डिका 5 में कथन करती है कि घटना वाले दिन अपने पति के साथ गोहद नहीं आई और फिर कहती है कि ढाई बजे घर पहुंच गए थे। यह साक्षी कथन करती है कि सुबह अपने पति के साथ गोहद आयी थी और कण्डिका 8 में बताती है कि लडाई 4-6 मिनिट तक चली थी। जहां नीरज अ0सा0 1 अपने प्रतिपरीक्षण में यह कथन करती है कि उसके गांव से ट्रेन में जाने के लिए रावतपुरा स्टेशन से बैठते हैं जो कि डेढ दो किमी0 है और उसकी माँ तथा पिता गांव से सुबह ट्रेन से गोहद गए थे। जबकि लोंगश्री अ०सा० 2 यह कथन कण्डिका 5 में करती हैं कि गोहद से टैम्पो से आए थे और चौराहे तक बस से आए थे। इस प्रकार से दोनों ही परस्पर विरोधाभासी कथन कर रहे हैं। यहां सुरेश अ0सा0 4 का कथन उल्लेखनीय है जो कि उसके समक्ष कोई भी घटना न होना बताता है। साक्षी पक्षविरोधी हो गया और मामले का कोई समर्थन नहीं करता है।

- प्रकरण में अभिकथित घटना का साक्षी शैलेन्द्र अ०सा० 3 बताया गया है जो घटना दिन के दो ढाई बजे की बताता है और यह कथन करता है कि मीरा उसकी पत्नी हैं। बच्चे ने कपडे में लेटरिन पेशाव कर ली थी तो मीरा ने कहाकि चिमनी लगा दो तो मैंने चिमनी लगा दी। मीरा ने लेटरिन पेशाव साफ करने से मना किया तो उसे दो तीन थप्पड मार दिए तब मीरा ने मायके फोन लगाकर अभियुक्तगण को बता दिया जो उसके घर आ गए, उन्होंने उसक माँ को चोटी पकडकर खचेर (घसीट) दिया और बचाने नीरज गयी तो नीरज को डण्डा मारा जिससे नीरज का गोडा (पैर) टूट गया फिर एण्डोरी थाना रिपोर्ट करने गया था। साक्षी को अभियोजन पक्ष ने पक्षविरोधी घोषितकर सूचक प्रश्न पूछे गए जिसमें इस सुझाव से इंकार किया कि अभियुक्तगण ने उसके साथ मारपीट की हो। इस तथ्य से भी इंकार किया कि शिवराज ने लातघूंसों से उसकी मॉ को मारा और जमीन पर घसीट दिया, इस तथ्य से भी इंकार किया कि भगवंत और उसके पिता सुरेश आए थे और उन्होंने बहन को बचाया था। यहां साक्षी स्पष्ट करता है कि केवल वह अकेला था। साक्षी प्रतिपरीक्षण में अभिकथित रूप से बच्चे द्वारा लेटरिन करने की बात दो दिन पहले की होना बताता है। घटना दिनांक को उसके माता पिता का गोहद जाना बताता है किन्तू किस काम से गए यह बताने में अरमर्थ है। स्वतः कथन करता है कि उसकी माँ ढाई बजे वापस आ गयी थी। साक्षी यह कथन करता है कि उसे अभियुक्त शिवराज व रवि चौका (रसोई) में पकडे रहे थे लेकिन कोई मारपीट नहीं की। साक्षी कण्डिका 5 में स्पष्ट करता है कि संपूर्ण घटना के करीब एक घण्टे बाद अभियुक्तगण ने उसे चौका में छोडा था। साक्षी अपने अभिसाक्ष्य में कण्डिका 6 में पुनः स्पष्ट करता है कि अभियुक्तगण उसे रसोई में पकडे रहे। साक्षी का कथन अत्यंत अस्वाभाविक व विरोधाभासी है जो कि अभिकथित घटना के अभियुक्तगण रवि एवं शिवराज द्वारा उसको एक घण्टे तक रसोई में पकडे रहने के संबंध में कथन करता है और अपनी बहन नीरज के रास्ते में चारपाई डालकर पढने की बात बताता है किन्तू फिर भी कोई आस पड़ौस का व्यक्ति बचाने नहीं आया, इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं हैं। इसके अतिरिक्त किसी व्यक्ति के सामने उसकी माँ और बहन की मारपीट के समय प्रतिरोध अथवा बचाव के लिए शक्ति के प्रयोग न किया जाना अत्यंत अस्वाभाविक प्रतीत होता है।
- 10. प्रकरण में आहत नीरज उसके पैर में एक डण्डा और ईट मारने से चोटें होने तथा मारपीट कर उसकी माँ की चोटी पकड लेने की बात बताती है और घटना के संबंध में रिपोर्ट करने एण्डोरी जाना बताती है। साक्षी प्र0पी0 1 की रिपोर्ट स्वयं लिखाना और उस पर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षरों को प्रमाणित करती है। लोंगश्री अ0सा0 2 मुख्य परीक्षण में यह कथन करती है कि शाम को घटना के दो घण्टे बाद जब उसका पित सुरेश गोहद से वापस आया तब घटना के बारे में बताया तथा पित और नीरज के साथ रिपोर्ट करने गए थे। साक्षी अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 4 में 5—6 बजे रिपोर्ट के लिए पैदल नीरज के साथ जाना बताती है। जबिक कण्डिका 7 में नीरज अ0सा0 1 यह कथन करती है कि घटना के कुछ समय बाद 5—6 बजे वह रिपोर्ट कराने गयी थी और

आगे यह भी कथन करती है कि उसके पिता थाने साईकिल से ले गए थे। यहां उक्त दोनों ही साक्षी परस्पर विरोधाभासी कथन कर रहे हैं। यदि यह मान लिया जाए कि नीरज अ0सा0 1 लोगश्री अ0सा0 2 के साथ पैदल रिपोर्ट करने गयी तो यदि उसके पैर में चोट मौजूद थी तो वह किस प्रकार से पैदल जा सकती थी और इसके विपरीत वह अपने पिता सुरेश अ0सा0 4 के साथ रिपोर्ट करने गयी तो सुरेश अ0सा0 4 इस संबंध में कोई कथन नहीं करते हैं बिल्क कण्डिका 4 में यह बताते हैं कि वे गोहद से सीधे एण्डोरी थाने रिपोर्ट करने गए थे और आगे कथन करते हैं कि गोहद से छरेंटा गए थे। इसी कण्डिका के अंत में यह कथन करते हैं कि वे टैक्सी से आए थे और गोहद से टैक्सी से घर गए थे फिर एण्डोरी साईकिल से गए थे, पत्नी लोंगश्री भी साईकिल से गयी थी और शैलेन्द्र भी साईकिल से गए थे। इस प्रकार से उक्त साक्षीगण एक ही परिवार के होने पर भी परस्पर विरोधाभासी कथन कर रहे हैं।

- 11. नीरज अ०सा० 1 उसके पैर में डण्डा महाराजसिंह द्वारा मारने तथा रिव द्वारा ईट मारने से बांए पैर में चोट होने का कथन करती है। जबिक चिकित्सक आलोक शर्मा अ०सा० 5 आहत नीरज को डा० राजेन्द्र तरेटिया द्वारा चिकित्सीय परीक्षण करने पर दिनांक ०६.03.13 को 8 गुणा 4 सेमी० नील निशान तथा बांए पिण्डली में 4 गुणा 3 सेमी० नील का निशान पाए जाने का कथन करते हैं। जबिक आहत लोंगश्री के चिकित्सीय परीक्षण के संबंध में कोई कथन नहीं किया गया है। किण्डका 9 में लोंगश्री यह बताती है कि उसे मुदी चोट होने से मेडीकल नहीं हुआ था जबिक साक्षी यह कथन करती है कि उसने अपनी अस्पताल में चोटें बताई थी किन्तु मुदी चोट होने से मेडीकल नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त यह साक्षी आहत नीरज का दो बार एक्सरे अलग अलग दिन में होने और तीसरा एक्सरे प्राइवेट होने की बात बताती है जबिक स्वयं आहत लोंगश्री का मेडीकल परीक्षण क्यों नहीं किया गया इसका कोई समुचित कारण नहीं हैं। शैलेन्द्र अ०सा० 3 के द्वारा उसकी कोई मारपीट का कथन नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त उसके द्वारा विरोधाभासी कथन करने के साथ साथ किएडका 6 के अंत में पूछे गए प्रश्न कि तुम्हारे चौके व सहर के बीच दीवालों की उंचाई कितनी है ?, के संबंध में साक्षी द्वारा उत्तर देने से इंकार किया गया इससे साक्षी द्वारा तथ्यों को छिपाने का प्रयास किया जाना दिशींत है।
- 12. प्रकरण में जहां आहत नीरज की चोटों के अतिरिक्त घटनास्थल पर अभिकथित रूप से उपस्थित लोंगश्री अ0सा0 2 व शैलेन्द्र अ0सा0 3 के माँ और भाई होने पर भी कोई चोट मौजूद न होने का तथ्य, घटनास्थल के आसपास लोगों के मकान व रास्ता होने पर भी घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी न होना, लोंगश्री द्वारा नीरज को पैर में चोट होने पर भी पैदल रिपोर्ट करने के लिए जाने का तथ्य, जबिक नीरज अ0सा0 1 द्वारा अपने पिता के साथ साईकिल पर रिपोर्ट करने जाने का तथ्य परस्पर विरोधाभासी रूप से अभिलेख पर है। इसके अतिरिक्त सुरेश अ0सा0 4 द्वारा अभियोजन के

मामले का कोई समर्थन नहीं किया गया और न हीं अपनी पुत्री को साईकिल से रिपोर्ट के लिए ले जाने का समर्थन किया है। प्रकरण में यह तथ्य अभिलेख पर मौजूद है कि शैलेन्द्र अ०सा० 3 की पत्नी मीरा की रिपोर्ट से पति शैलेन्द्र, लोंगश्री तथा सुरेश के विरुद्ध दहेज प्रताडना का मामला चल रहा है, इसके संबंध में शैलेन्द्र अ०सा० 3 के प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 6 में पूछे जाने पर साक्षी ने कोई उत्तर नहीं दिया और मौन रहा। जहां एक ओर शैलेन्द्र अ०सा० 3 घटना के समय उसे रवि और शिवराज द्वारा रसोई में पकडकर रखने का कथन करता है वहीं नीरज अ0सा0 1 उसे ईट से मारने तथा शिवराज द्वारा लातघूंसों से लोंगश्री की मारपीट करने का कथन करती हैं। इस प्रकार से साक्षीगण के अभिसाक्ष्य में सारवान व महत्वपूर्ण विरोधाभासी तथ्य प्रकट हुए हैं। आहत नीरज को आई चोट के संबंध में आलोक शर्मा अ0सा0 5 ने स्वीकार किया है कि उक्त चोटें वाहन से गिरने के फलस्वरूप भी आना संभव है। यहां ध्यान देने योग्य है कि घटना दिनांक को आहत नीरज का चिकित्सीय परीक्षण नहीं कराया गया बल्कि प्रपी० 5 की रिपोर्ट के अनुसार अगले दिन दि० 06.03.13 को दोपहर 2 बजे का समय लेख किया गया है। इस प्रकार से सारवान विरोधाभास व लोप की दशा में आहत साक्षी की अभिसाक्ष्य के आधार पर भी दोषसिद्धि किया जाना उचित नहीं हैं। हाल ही में मान0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायदृष्टांत Indra devi & ors. Vs. State of Himachal pradesh 2016 (2) C.C.S.C. 1129 (S.C.) में उपहत साक्षी की अभिसाक्ष्य के संबंध में अभिव्यक्त किया-

Para-7. "The proposition of law that an injured witness is generally reliable is no doubt correct but even an injured witness must be subjected to careful scrutiny if circumstances and materials available on record suggest that he may have falsely implicated some innocent persons also as an after thought on account of enmity and vendetta. The trial court erred in not keeping this in mind."

इस प्रकार से उपरोक्तानुसार विवेचन के आधार पर फरियादी नीरज अ०सा० 1, लोंगश्री अ०सा० 2 व शैलेन्द्र अ०सा० 3 की अभिसाक्ष्य विश्वसनीय नहीं पाई जाती है। साथ ही अभियोजन का मामला संदिग्ध हो जाता है।

13. दांडिक विधि के अनुसार अभियोजन को अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करना होता है अर्थात यदि एक सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति के मन में अभियुक्त के दोषी होने के संबंध में संदेह उत्पन्न हो जाए तो वह अपराध अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं कहलाता है। न्याय दृष्टांत जोश उर्फ पप्पाचान विरुद्ध पुलिस उपनिरीक्षक कोयीलैण्डी व अन्य ए०आई०आर० 2016 एस०सी० 4581: 2016—4 सी०सी०एस०सी० 1807 में हाल ही में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा 53 में यह मताभिव्यक्ति की है कि "विधि की पुरातन प्रस्थापना है कि सन्देह चाहे जितना भी गम्भीर हो, यह सबूत का स्थान नहीं ले सकता और यह कि अभियोजन दाण्डिक आरोप पर सफल होने के लिए "सत्य हो सकेगा" की परिधि में अपने मामले को दाखिल

करने का साहस नहीं कर सकता, किन्तु उसे आवश्यक रूप से "सत्य होना चाहिए" के संवर्ग में उसे उद्धत करना चाहिए। दाण्डिक अभियोजन में, न्यायालय का यह सुनिश्चित करना कर्तव्य है कि मात्र अटकलबाजी या संदेह विधिक सबूत का स्थान ग्रहण नहीं करते और ऐसी स्थिति में, जहां उपलब्ध साक्ष्य की पृष्टभूमि में युक्तियुक्त संदेह स्वीकार किया जाता है, न्याय की विफलता को निवारित करने के लिए संदेह का लाभ अभियुक्त को प्रदान किया जाना चाहिए। ऐसा संदेह आवश्यक रूप से युक्तियुक्त होना चाहिए न कि काल्पनिक, कल्पनापूर्ण, अमूर्त या अस्तित्वहीन, किन्तु जैसा कि निष्पक्ष, प्रज्ञापूर्ण और विश्लेषणात्मक मस्तिष्क द्वारा स्वीकार्य हो, कारण और सामान्य ज्ञान की कसौटी पर निर्णीत किया गया हो। दाण्डिक न्यायशास्त्र में प्राथमिक शर्त भी है कि यदि उपलब्ध साक्ष्य पर दो मत संभव है, जिनमें से एक अभियुक्त के अपराध को और दूसरा उसकी निर्देषिता को निर्दिष्ट कर रहा है, तो अभियुक्त के पक्ष में मत को अंगीकार किया जाना चाहिए।"

- 14. अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में परिवादी पक्ष अपना मामला अभियुक्तगण के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर अभियोजन यह तथ्य प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने दिनांक 05.03.13 को दोपहर 14:30 बजे या उसके लगभग ग्राम घरेटा स्थित फरियादी/आहता कु0 नीरज के घर के पास सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर शैलेन्द्र को मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित किया तथा उक्त सामान्य आशय के अग्रशरण में शैलेन्द्र तथा उसे बचाने आयी फरियादिया नीरज व श्रीमती लोंगश्री की डण्डा/ईटों से मारपीट कर स्वेच्छा उपहित कारित की तथा अभियुक्तगण में से किसी ने फरियादी नीरज की मारपीट कर उसे अस्थिभंग कारित कर स्वेच्छा घोर उपहित कारित की।। अतः अभियुक्तगण को संहिता की धारा 323/34, 325/34 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।
- 15. अभियुक्तगण के जमानत मुचलके भारहीन किए जाते हैं। दप्रस की धारा 437 ए के अधीन प्रस्तुत जमानत मुचलके निर्णय दिनांक से 6 माह तक प्रभावी रहेंगे।
- 16. प्रकरण में कोई संपत्ति जब्त नहीं।
- 17. अभियुक्तगण की अभिरक्षा अवधि कुछ नहीं।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर, हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित कर घोषित किया गया । मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

ए०के० गुप्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश ए०कं० गुप्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश ATTACHED AND A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

WILKELD PRICION TO THE PRICION OF THE PRICE OF THE PRICE

WILHOUT PRICION STREETS PRICIONS OF THE PRICE OF THE PRIC